भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3038
दिनांक 18.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

आंध्र प्रदेश में विशेष विपणन सहायता योजना

3038. श्री लावू श्रीकृष्ण देवरायलू:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की वर्ष-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) एसएमएएस के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों के लिए आबंटित की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है और इस आबंटित निधि का उपयोग करने वाले आंध्र प्रदेश के लाभार्थियों की संख्या कितनी है और उन्होंने किन-किन क्षेत्रों/उत्पादों का प्रतिनिधि किया;

(ग) सरकार द्वारा विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान एसएमएएस के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रदर्शनी सहायता प्रदान करने पर किया गया कुल व्यय कितना है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश के किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी को प्रक्रियागत देरी, जागरूकता की कमी या राज्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएचच) कार्यालय की अपर्याप्त पहुंच के कारण प्रदर्शनी सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश से प्रदर्शनी में भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और भारत सरकार की सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लोक प्रापण नीति के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई से खरीद के 4% के अधिदेश को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएचच) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम ने सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें क्षमता निर्माण कार्यक्रम; बाजार लिंकेज कार्यक्रम, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रमों का आयोजन, कार्यशालाएं/जागरूकता कार्यक्रम, संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद पर सब्सिडी, सरकार द्वारा समर्थित ई-कॉमर्स पोर्टल पर नामांकन के लिए एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता आदि शामिल हैं ।

एनएसएसएचच स्कीम के घटक 'विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस)' के अंतर्गत, एससी/एसटी उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद में भाग लेने के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और विकसित करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। विगत पांच वर्षों के दौरान 36.41 करोड़ रुपये की लागत से 3,929 एससी/एसटी उद्यमियों को देश में घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधा प्रदान की गई थी। तथापि, इस अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के किसी भी एससी/एसटी उद्यमी ने प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए एसएमएएस के अंतर्गत सहायता नहीं ली।

आंध्र प्रदेश में एससी/एसटी उद्यमियों को पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए, हैदराबाद में राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, एनएसएसएचच स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर कॉन्क्लेव, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (एसवीडीपी) और जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में, आंध्र प्रदेश राज्य में अब तक 02 एसवीडीपी और 02 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यह स्कीम, अभीष्ट दर्शकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का भी सक्रिय रूप से उपयोग करती है।

***